



2026:AHC:32296

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2182/2026

श्रीमती वर्षा कटियार

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: शिवकांत

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, प्रांजल मेहरोत्रा

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील इस वर्तमान रिट याचिका को वापस लेना चाहते हैं, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि: (I) परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रत्यर्थियों को यह आदेश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता का स्थानांतरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 'सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी' के पद पर, सोनभद्र जिले से मुजफ्फरनगर जिले में कर दें; (II) एक रिट या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रत्यर्थियों को यह आदेश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता के सोनभद्र जिले से मुजफ्फरनगर जिले में स्थानांतरण के लिए लंबित अभ्यावेदन पर, कानून के अनुसार और एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर विचार करें और उस पर निर्णय लें; (III) कोई ऐसा रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित और सही समझे; (IV) याचिका का व्यय याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रदान किया जाए।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. वर्तमान याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

13 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"